APP-A
Crim-I

FROM No. -III

फर्द अहकाम

(नियम–26)

अज अदालत सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) गुलाबपुरा केम्प कोर्ट गागेडा

[redacted] संध्या पत्नि मुकेशकुमार महाजन
निवासी– बिजयनगर

बनाम विरेन्द्र सिंह पिता भीमसिंह संचेती
निवासी– गुलाबपुरा

किस्म मुकदमा–वाद पत्र अन्तर्गत धारा– 53, रा.टी. ए. प्रकरण संख्या– 2405 / 2017

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशयल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
25.05.2018	प्रत्रावली आज लोक अदालत केम्प कोर्ट गागेडा पर पेश हुई । वकील उभयपक्ष उपस्थित । वकील वादी के द्वारा कथन किया गया कि मामला मात्र भूमि विभाजन का है , आराजीयात वादीगण व प्रतिवादी संख्या– 1 से 2 की संयुक्त खातेदारी व कब्जेकाश्त की आराजीयात है , जिसमें वादीगण का 1/3, व प्रतिवादी संख्या– 1 का 1/3 , व प्रतिवादी संख्या– 2 का 1/3, हिस्सा निहित है , और इसी हक हिस्से के अनुसार पक्षकारान काबिज काश्त चले आ रहे है । आराजीयात संयुक्त खातेदारी की होने से भूमि की सीमा को लेकर विवाद होता रहता है , इसलिये वादीगण उनके हक हिस्से व कब्जेनुसार भूमि का विभाजन कराने चाहते है । उपस्थित वकील प्रतिवादी ने भी हक हिस्से व कब्जेनुसार भूमि विभाजन किये जाने में कोई आपति नही होना जाहिर किया है । मैने वकील उभयपक्ष को सूना । बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन किया । विवेचन निम्नानुसार रहा है । वादी के द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दी सम्वत् 2072 से 2075 मौजा शिवनगर पटवार हल्का गागेडा तहसील हुरडा के अनुसार आराजी नं.– 510 रकबा 189 बीघा 19 बिस्वा भूमि लक्ष्मण सिंह पिता शोभाग सिंह, विरेन्द्र सिंह पिता भीम सिंह , सुरेन्द्र सिंह पिता भीम सिंह महाजन संचेती साकिन गुलाबपुरा के नाम दर्ज रिकार्ड होना तथा बेचान से लक्ष्मण सिंह पिता शोभाग सिंह हिस्सा 1/3 के बजाय सत्यनारायण पिता मगना जाट, साकिन जूना गुलाबपुरा व ओमप्रकाश पिता रामपाल काबरा जाति महाजन , साकिन हुरडा , व गणेश कुमार पिता रामपाल काबरा , जाति महाजन हिस्सा 1/3, साकिन हुरडा , बेचान से सत्यनारायण पिता मगना ओमप्रकाश पिता रामपाल , गणेश कुमार पिता रामपाल 1/3 के बजाय संध्या पत्नि मुकेशकुमार संचेती , जया संचेती पत्नि राकेश कुमार संचेती हिस्सा 1/3 साकिन मुनीम कॉलोनी बिजयनगर का नाम दर्ज रिकार्ड आना प्रकट आया है ।	

सहायक कलेक्टर
(S. D. O.) गुलाबपुरा
जिला-भीलवाड़ा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

यहाँ वादीगण का कथन है कि आराजीयात की सीमा को लेकर आये दिन विवाद होता रहता है , इसलिये माफिक हक हिस्सा व कब्जे के अनुसार भूमि का विभाजन कराना चाहा है । उसमें प्रतिवादीगण को भी कोई आपत्ति नही होने से दावा वादी प्राथमिक डिकी किये जाने योग्य है।

::—निर्णय::—

दावा वादी प्राथमिक डिकी किया जाकर मौजा शिवनगर पटवार हल्का गागेडा तहसील हुरडा की आराजी नं.— .— 510 रकबा 189 बीघा 19 बिस्वा भूमि के खातेदान काश्तकारान के मध्य उनके हक हिस्से व कब्जे के अनुसार भूमि व लगान विभाजन किये जाने के आदेश दिये जाते है । तहसीलदार हुरडा को निर्देश दिये जाते है कि वह आज ही भूमि व लगान का विभाजन किया जाकर विभाजन प्रस्ताव मय लगान फाटनी प्रस्तुत करें । निर्णय आज 25.05.2018 को खुली लोक अदालत केम्प कोर्ट गागेडा पर सुनाया गया ।

(नन्दकिशोर राजोरा)
सहायक कलेक्टर
(S. D. O.) गुलाबपुरा
जिला-भीलवाड़ा

न्यायालय सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) गुलाबपुरा (भीलवाड़ा)

29.06.2018

तहसीलदार हुरडा के द्वारा विभाजन प्रस्ताव तैयार किया जाकर विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्र कमांक राजस्व/ 2018 / दिनांक 28.06.2018 से प्रस्तुत किया जिसका विवरण निम्न प्रकार है :—

1— संध्या पत्नि मुकेशकुमार संचेती व जया संचेती पत्नि राकेश कुमार संचेती, जाति जैन साकिन मुनीम कॉलोनी बिजयनगर के हिस्से में :—

मौजा	आराजी नम्बर	रकबा	लगान
शिवनगर	510/2	63 बीघा 06 बिस्वा	
कुल किता 1		63 बीघा 06 बिस्वा	

2— विरेन्द्र सिंह पिता भीम सिंह , सुरेन्द्र सिंह पिता भीमसिंह , महाजन संचेती साकिन गुलाबपुरा के हिस्से में :—

मौजा	आराजी नम्बर	रकबा	लगान
शिवनगर	510/3	126बीघा 13 बिस्वा	
कुल किता 1		126बीघा 13 बिस्वा	

उक्त प्राप्तशुदा विभाजन प्रस्ताव पर वकील वादी को सुना गया । उपस्थित वकील वादी के द्वारा तहसीलदार हुरडा से उक्त प्राप्तुसदा विभाजन प्रस्ताव को सही होकर स्वीकार किया जाना जाहिर किया है ।

Web Copy - Not Official

मैने भी प्राप्त विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया। तदनुसार तहसीलदार हुरड़ा से उक्त प्राप्तशुदा विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है। तथा इसी अनुरूप प्रकरण मे अंतिम डिक्री पर्चा तैयार किये जाने के आदेश दिये जाते है । तद्नुसार अन्तिम डिक्री पर्चा तैयार किया जावें पत्रावली सुमार फेसल होकर दाखिल दफतर करें । आदेश आज दिनांक 29.06.2018 को खुली लोक अदालत में सुनाया गया।

(नन्दकिशोर राजोरा)
सहायक कलक्टर
(S. D. O.) गुलाबपुरा
जिला-भीलवाड़ा

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) गुलाबपुरा (भीलवाड़ा)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner